उप क्षेत्रीय कार्यालय मरोल
SUB REGIONAL OFFICE MAROL
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
क.रा.बी.नि. EMPLOYEES' STATE INSUANCE CORPORATION
E.S.I.C. (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

पंचदीप भवन, प्लॉट नं. 9, रोड नं. 7,
एमआयडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400093
PANCHDEEP BHAWAN, PLOT NO. 9, ROAD, NO. 7
MIDC, ANDHERI (EAST), MUMBAI-400093
Phone: 022-28225568/28226456 Email: dir-marol@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

सं. 35-झेड-17/12/18/विविध/प्रशा-18 दिनांक: 24 /06/2024

परिपत्र/CIRCULAR

विषय - परिवर्तित अवकाश आवेदन के संदर्भ में । /Subject - Regarding Commuted Leave application.

यह पाया गया है कि, कुछ कर्मचारियों द्वारा अक्सर परिवर्तित अवकाश के लिए आवेदन (विशेषकर 1 से 3 दिन के लिए) बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र के प्राप्त हो रहे है । इसे उप निदेशक (प्रभारी) महोदया द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

इस संबंध में सूचित करना है कि विशेष परिस्थितियों में ही, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अधिकतम तीन दिन तक परिवर्तित अवकाश के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र जमा करने की शर्त को अपने विवेकाधीन निर्णय लेते हुये माफ (condone) किया जा सकता है ।

नियमानुसार, परिवर्तित अवकाश (Commuted Leave) चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ही स्वीकृत करने का प्रावधान है।

उपर्युक्त संबंध में उप क्षेत्रीय कार्यालय मरोल के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है कि वे चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ ही परिवर्तित अवकाश के लिए आवेदन जमा करें ।

फिर भी अगर यह पाया जाता है कि, कोई कर्मचारी बार-बार परिवर्तित अवकाश के लिए आवेदन कर रहा है, तो सक्षम पदाधिकारी अपने विवेक से ऐसे मामलों को दूसरी राय (second opinion) के लिए चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि. अस्पताल में भेज सकते है।

आगे यह भी सूचित किया जाता है कि सक्षम पदाधिकारी ने इस परिपत्र के जारी होने से पूर्व बिना चिकित्सा प्रमाणपत्र के परिवर्तित अवकाश आवेदनों को मंजूरी देने में उदारता दिखाई है । तथापि, इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से किए गए बिना चिकित्सा प्रमाणपत्र के परिवर्तित अवकाश आवेदनों को controlling officer की अनुशंसा के बाद ही प्रशासन शाखा द्वारा स्वीकार किया जाएगा / केवल विशेष मामलों में ही, जो सक्षम पदाधिकारी के पूर्ण विवेक पर निर्भर है, ऐसे अवकाश के लिए मंजूरी दी जाएगी ।

अतः **सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि इस परिपत्र में दिये गए निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करें ।**

यह उप निदेशक (प्रभारी) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

It has been observed that, the applications for Commuted leave (especially for 1-3 days) without medical certificate are often received from some employees. This has been viewed very seriously by the Deputy Director (I/c).

In this regard, it is informed that only under certain conditions submission of medical certificate for Commuted leave can be condoned by the Head of the Office at his/her discretion up to maximum three days.

As per the rules, there is a provision to grant commuted leave only on the basis of medical certificate.

In view of the above, all the Branch Officers and staff of SRO Marol are advised to submit their commuted leave application along-with the medical certificate invariably.

However, if it is found that an employee is repeatedly applying for a commuted leave, the head of the office at his/her discretion may refer the case to ESIC Hospital for second opinion.

Further, it is also informed that the competent authority has shown leniency in approving the commuted leave applications without medical certificate received prior to issuance of this circular. However, the commuted leave without medical certificate applied from the date of issue of this circular will be accepted by Administration branch only after the recommendation of the controlling officer / only in special cases, which is at the sole discretion of the competent authority, sanction of such leaves will be granted.

Therefore, all Officers and Officials are advised to strictly follow and comply with the instructions given in this circular.

This issues with the approval of DD(I/c).

Signed by
Mukul Vats
Date: 24-06-2024 14:57:35
(मुकुल वत्स/Mukul Vats)
उप निदेशक (प्रशासन)/Dy. Director (Admin)

प्रतिलिपि/Copy to:

उ.क्षे.का. मरोल के अधीनस्थ सभी शाखाएँ/शाखा कार्यालय/All Branches/Branch Offices of SRO Marol.